टैरिफ आधारित तुलनात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र ओर दक्षिण क्षेत्र के बीच कृष्णापट्टनम यूएमपीपी - समकालिक इंटरकनेक्शन सें संबद्ध ट्रंसमिशन प्रणाली स्थापित करने के लिए ट्रंसमिशन सेवा प्रदाताओं के रूप में बोलियों की छंटनी करने के लिए आर एफ क्यू संबंधी स्पष्टीकरण

क्रम सं.	खंड संदर्भ	अपेक्षित वर्गीकरण	वर्गीकरण
1.	1.2	कृपया कार्य क्षेत्र में उल्लिखित ट्रंसमिशन प्रणाली से संबंधित ट्रंसमिशन लाइनों की लंबाई का उल्लेख करें	ट्रंसमिशन लाइनों की लंबाई का बोलीदाता स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे
2.	1.2	प्रयोग में लाए जाने वाले कंडक्टर का उल्लेख बेर्सिमिस एसीएसआर या एएएसी के रूप में किया गया है। हमारा प्रस्ताव है कि कंडक्टर के प्रकार को उच्च एम्पेरेज लो रिसिस्टेंस कंडक्टरों में बदला जाए। प्रस्तावित परिवर्तन से कंडक्टर और यूटीएस के वजन में कमी के कारण ट्रंसमिशन लाइन की समग्र लागत में 5-10 प्रतिशत की कमी आएगी, इसके परिणामतः बोलीदाताओं द्वारा उल्लिखित वार्षिक टैरिफ प्रभारों में कमी आएगी, जिससे प्रयोक्ताओं को लाभ होगा	ये तकनीकी विनिर्देश केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई हैं और इनमें किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।
3.	1.2	परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य आशय पत्र (एलओआई) की तारीख से 36 माह के रूप में विनिर्दिष्ट है। हम परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य की तारीख कम से कम 12 माह बढ़ाने का प्रस्ताव करते है। परियोजना के कार्यक्षेत्र में ' डीपीआर ' वन विभाग की अनुमति और सभी अन्य अनापत्तियां शामिल हैं। यह ज्ञात तथ्य है कि जंगल के संबंध में अनापत्ति दिए जाने में कम से कम 18 माह लग सकते हैं, जो पूर्णतः भारत सरकार के नियमों/विनियमों और प्रणाली तथा प्रक्रियाओं पर निर्भर है	कार्यान्वयन समय तालिका केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई है और इसमें किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।
4	1.6.2.2	अपेक्षित संशोधन (ख) यदि अपेक्षित हो तो जंगल के संबंध में आवश्यक अनापत्ति प्राप्त	यह विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मानक बोली दस्तावेज

		करना (ग) इसके अलावा बीपीसी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि अपेक्षित हो तो 'ट्रंसमिशन लाइनों ' को बिछाने के प्रयोजन के लिए मार्ग का अधिकार या उपयोग का अधिकार प्राप्त किया जाए।	(एसबीडी) के अनुसार है।
5.	2.1.2	आर एफ क्यू दस्तावेजों का प्रावधान - 'तकनीकी अपेक्षा बोलीदाता कंपनी या बोलीदाता संघ के प्रमुख सदस्य द्वारा पूरी की जाएगी। उपर्युव्त पूंजीगत व्यय, तकनीकी रूप से मूल्यांकित एंटिटी की लेखापरीक्षित बहियों में दर्शाए गए अनुसार होगा। ' पूछताछ - सामान्यतः परियोजनाओं का विकास एसपीवी का निगमन करके किया जाता है और परियोजना के संबंध में खर्च किया जाने वाला पूंजीगत व्यय केवल एसपीवी की बहियें में दर्शाया जाएगा। तद्नुसार पूंजीगत व्यय उस एसपीवी की बहियों में दर्शाया जाएगा, जिसने परियोजना का कार्य निष्पादन किया है। यदि बोलीदाता की शेयर होल्डिंग 26 प्रतिशत से अधिक हो तो बोलीदाता या इसकी सहायक कंपनी का एसपीवी में 26 प्रतिशत से अधिक शेयर होंगे, हम इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे । विश्वास है कि अर्हक अपेक्षाओं के लिए ये पर्याप्त होंगे।	बोलीदाता को चाहिए कि वह आर एफ क्यू को देखे जिसमें आर एफ क्यू का फार्मेट 4.11 सहित खंड 2.1.2 भी शामिल है।
6.	2.1.3 और 2.2.3	खंड 2.1.3 के अनुसार वित्तीय अपेक्षा बोलीदाता कंपनी/बोली संघ द्वारा पूरी की जाएगी । निवल मूल्य का परिकलन, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तत्काल पहले के पिछले तीन वर्ष के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर किया जाएगा, इस संबंध में इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अप्रैल, 2010 माह में होती है। अतः	खंड सं. 2.1.3.1 के अनुसार आर एफ क्यू का उत्तर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तत्काल पूर्व के किन्ही अंतिम तीन (3) वित्तीय वर्ष के असमेकित लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर नेटवर्थ का

		उपर्युक्त शर्त के अनुसार वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को उपयोग में लाया जाएगा। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक वित्त वर्ष 2009-10 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा करवाना संभव नहीं होगा। यह भी संभव नहीं होगा कि वित्त वर्ष 2009-10 के बिना लेखापरीक्षित वार्षिक लेखें प्रस्तुत किए जाएं। उपर्युक्त बातों की दृष्टि से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वित्त वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के उपयोग को स्वीकार करने की पुष्टि करें।	परिकलन किया जाएगा। इसमें कोई आशोधन करने पर विचार नहीं किया गया है।
7.	फार्मेट 4.10	यह फार्मेट संबंद्ध/मूल कार्यालय का सहमति पत्र है, जिसके माध्यम से उसके प्रत्यय-पत्र का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इस प्राधिकार - पत्र में ऐसे कोई वित्तीय आंकड़े आदि नहीं होते हैं, जिसके लिए ऐसी एंटिटी के लेखापरीक्षक के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक हों। कृपया स्पष्ट करें कि क्या कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर न किए जाने पर भी इसे स्वीकार किया जाएगा। सभी परियोजनाओं में हमारा यह अनुभव रहा है कि संबद्ध/मूल कार्यालय के कानूनी लेखापरीक्षकों के बारे में यह प्रश्न उठता रहा है कि उनके द्वारा फार्म 4.10 पर हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं। इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि सहमति पत्र पर कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर क्यों करने चाहिए ? इस अपेक्षा को समाप्त करने की आवश्यकता है।	यह एसबीडी के अनुसार है और इसमें कोई आशोधन करने पर विचार नही किया गया है।
8.	फार्मेट 4.11	संबद्ध संस्थाओं के उदाहरण के लिए फार्मेट 'टिप्पणी : बोलीदाता को अपने मामले में लागू उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, जिसे कंपनी सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो और इस संबंध में उसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत लगाया गया हो ' कृपया स्पष्ट करें कि कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणित फार्मेट 4.11 के अलावा	सदस्यों के रजिस्टर/डिमेट एकांउट विवरण, शेयर प्रमाण पत्र कंपनी रजिस्ट्रार आदि के पास दाखिल वार्षिक विवरणी जैसे संगत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिनमें संगत समय पर

		किस प्रकार के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करने होंगे	शेयर होल्डिंग को भी दर्शाया जाए।
9.		सही अवस्थिति समझने के लिए हम ट्रंसमिशन लाइन के आरंभिक और अंतिम बिंदु के उत्तरी और पूर्वी विवरण जानना चाहेंगे।	यह सूचना आर एफ क्यू चरण में संगत नहीं है और इसे आर एफ पी चरण के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
10.		यदि उपलब्ध हो तो गुणवत्ता प्रपत्र (बीओक्यू) सहित ट्रंसमिशन लाइनों के सर्वेक्षण के बारे में विवरण जानना चाहेंगे	यह सूचना आर एफ क्यू चरण में संगत नहीं है और आर एफ पी चरण में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
11.		क्या आर एफ क्यू प्रस्तुत किए जाने से पहले कोई बोली पूर्व बैठक प्रस्तावित है ? यदि हां तो बैठक की तारीख, समय और स्थान की पुष्टि करें।	आर एफ क्यू प्रस्तुत किए जाने से पहले बोली पूर्व कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है।
12.		कृपया परियोजनाओं की संकेतक पूंजीगत लागत का उल्लेख करें।	बोलीदाता को चाहिए कि पूंजी लागत का अपना आकलन प्रस्तुत करे।
13		कृपया इस परियोजना के विकास प्रयोजन के लिए हमें अपनी सहायक कंपनियों/अपने साथियों से निवेश प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।	बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे आर एफ क्यू के खंड 2.1.1 और अन्य संगत खंडों को देखें।
14.		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बोली दस्तावेज के भाग के रूप में, परियोजना के संबंध में प्राधिकारी/इसके परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए ट्रंसमिशन सेवा करार का मसौदा और परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट और परियोजना से संबंधि अन्य उपलब्ध सूचना परियोजना को प्रस्तुत करेगा। हम बीपीसी से अनुरोध करते है कि वह विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और ट्रंसमिशन सेवा करार का मसौदा देने की व्यवस्था करें और उसे सौंपे।	सर्वेक्षण रिपोर्ट और ट्रंसमिशन सेवा करार का मसौदा आर एफ पी चरण के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा।
15.		हम बी पी सी और इस प्रयोजन के लिए गठित एस पी वी से अनुरोध करते	आर एफ क्यू का प्रावधान लागू

		हैं कि वे आवश्यक सहमति अनापत्ति और परमिट (मार्ग अनुमति) पर्यावरण, वन, नागरिक विमानन, मार्ग का अधिकार, रेलवे/सड़क/ नदी/नहर/विद्युत लाइनों का क्रासिंग आदि, पुनर्वास ओर पुनर्स्थापन मुद्दों और भूमि के मुआवजे को प्राप्त करने में अगुवाई करें और उसकी प्राप्ति सुनिश्चित करें, ताकि परियोजना का कार्य - निष्पादन तेजी से हो सके।	होगा और इसमें कोई आशोधन करने पर विचार नहीं किया गया है।
16.		जो हितार्थी 'ट्रंसमिशन टैरिफ ' अदा करेंगे उनके नाम का उल्लेख आर एफ क्यू में नहीं किया गया है।	यह सूचना आर एफ पी चरण के दौरान दी जाएगी।
17.		सभी आई पी पी के नाम और परियोजना को चालू किए जाने की अनुसूची (युनिटवार) और उनकी क्षमता का आर एफ क्यू में उल्लेख नहीं किया गया है। हमें परियोजना को चालू किए जाने की अनुसूची की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आई पी पी को चालू करने में विलंब न हो और सफल बोलीदाता को टैरिफ की अदायगी सुनिश्चित है।	यह सूचना आर एफ क्यू चरण में संगत नहीं है।
18.		बीपीसी द्वारा आर एफ पी दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जाने वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट में टर्मिनल स्टेशनों के अक्षांश और देशांतर समन्वय का उल्लेख किया जाना चाहिए।	सुझाव नोट किया गया।
19.		सी ई आर सी द्वारा विद्युत मंत्रालय को दिनांक 13.1.2010 के पत्र के जरिए जारी की गई 'कानूनी सलाह ' की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है।	कानूनी सलाह की स्थिति आर एफ क्यू से संबंधित नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि मानक बोली दस्तावेज (आर एफ पी और टी एस ए) में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है।
20.		यदि बोलीदाता का कोई कंपनी सचिव न हो तो क्या विधिवत प्राधिकृत निदेशक (कंपनी के सचिव के स्थान पर) द्वारा सभी संबंधित दस्तावेजों का प्रमाणीकरण पर्याप्त है।	आर एफ क्यू के प्रावधान लागू होंगे और इसमें कोई आशोधन करने पर विचार नहीं किया गया है।

		बोर्ड के संकल्प द्वारा निदेशक को प्राधिकृत किया जाना, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार विधिमान्य और पूर्ण प्राधिकार है अतः यदि बोलीदाता/वित्तीय - तकनीकी रूप से मूल्यांकित एंटिटी का कोई कंपनी सचिव न हो, तो कंपनी सचिव के स्थान पर संकल्पों आदि पर हस्ताक्षर करने वाला ऐसा प्राधिकृत निदेशक इसका पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।	
21.		यह आवश्यक है कि परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा, विद्युत मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद एस पी वी के अर्जन की तारीख से शुरू हो, आशय पत्र के आंबंटन से नहीं। विद्युत मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आशय पत्र की तारीख के बाद काफी समय लग जाता है। एस पी वी अर्जन की प्रक्रिया उसके बाद आरंभ होती है। सफल बोलीदाता तब तक तीसरे पक्षकारों के साथ कोई निर्णायक करार करने की स्थिति में नहीं होते, जब तक एस पी वी के कार्यों का पूरा नियंत्रण प्राप्त नहीं हो जाता और इस प्रकार बोलीदाता का ऐसे कारण से काफी समय नष्ट हो जाता है, जो उसके नियंत्रण में नहीं है। अतः यह प्रावधान करना आवश्यक है कि 36 माह की समय - सीमा उतने दिन स्वतः बढ़ जाए, जितने दिन आशय-पत्र प्राप्त होने की तारीख के बाद एस पी वी के अर्जन में लगते हैं।	आर एफ क्यू के प्रावधान लागू होंगे और इसमें कोई आशोधन करने पर विचार नहीं किया गया है।